न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 663–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–07–2012 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, टिमरनी जिला हरदा के प्रकरण कमांक 77/अ–12/2011–12.

———

1–संतोष आ0 शिवराजसिंह राजपूत,
2–जयदीप आ0 लोकेश राजपूत,
दोनों निवासी ग्राम नयागांव तहसील टिमरनी
जिला हरदा म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

महेन्द्र आ0 विक्रम सिंह यदुवंशी,
कृषक निवासी ग्राम नयागॉव तहसील टिमरनी
जिला हरदा म0प्र0 .....अनावेदक

———

श्री एस0के0अवस्थी,अभिभाषक–आवेदकगण
श्री नितिन स्थापक, अभिभाषक–अनावेदक

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/8/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, टिमरनी जिला हरदा द्वारा पारित आदेश 24–07–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख जिला हरदा द्वारा पत्र दिनांक 12–7–12 से तहसीलदार को अनावेदक महेन्द्र की ग्राम नयागॉव

तहसील टिमरनी जिला हरदा स्थित भूमि का सीमांकन करने बावत् जिला स्तरीय दल का गठन कर अधीक्षक भू–अभिलेख हरदा द्वारा सीमांकन उपरांत पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये गये । तत्संबंध में जिला स्तरीय गठित दल द्वारा मौके पर पहुॅच कर विधिवत उपरोक्त भूमि का सीमांकन किया गया, जिसकी सूचना अधीक्षक को देकर फील्डबुक, नक्शा, पंचनामा एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 24–7–12 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24–7–12 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही आधार उठाया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन करने के पूर्व संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत पड़ोसी कृषक को सूचना नहीं दी गई । मौके पर आवेदक का अतिक्रमण पाया गया है, परन्तु उसे न तो सूचना पत्र जारी किया गया और न ही उसकी उपस्थिति में सीमांकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन अंतिम हो जाने के बाद प्रकरण पंजीकृत किया गया। संहिता की धारा 41 के अन्तर्गत नियम 6 के अनुसार पहले प्रकरण पंजीकृत किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । इस प्रकरण में कार्यवाही होने के उपरांत तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही पूर्णतः अवैध होने से निरस्त की जाये एवं निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रकिया का पालन करते हुये सीमांकन किया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा जो सूचना पत्र सीमांकन हेतु जारी किया गया है उसकी तामीली में काट–पीट की गई है साथ ही सूचना पत्र में आवेदक कमांक 2 का नाम पृथक से दूसरी स्याही से जोड़ा गया है एवं पूर्व में दिनांक 20–6–2012 को सीमांकन किये जाने का उल्लेख है एवं दिनांक 21–6–2012 को

बाद में जोड़ा गया है । इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक पर सीमांकन हेतु विधिवत् तामीली नहीं कराई गई है और न ही उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया गया है जबकि सीमांकन में आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जा होना बताया गया है । इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा जिस सीमांकन पंचनामा एवं प्रतिवेदन के आधार पर सीमांकन आदेश पारित किया गया है वह सीमांकन पंचनामा एवं प्रतिवेदन ही विधिसंगत नहीं है । ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश वैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है । इसके अतिरिक्त प्रकरण को यह भी स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना प्रकरण दर्ज किये पूर्व में ही सीमांकन कार्यवाही कर ली गई है और बाद में प्रकरण दर्ज किया गया है । उपरोक्त कार्यवाही को भी विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में राजस्व निरीक्षक का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24–7–12 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है । प्रकरण पुनः विधिवत् सीमांकन करने के लिये तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर